

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज.जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/कोर्ट केस/ए-13/2019/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2018/580 दिनांक 26.06.2018 में क्रम संख्या 57 पर अंकित श्रीमती अनिता मीणा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलसीगढ़ गिर्वा, उदयपुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलोदा खमनोर, उदयपुर किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए उदयपुर के स्थान पर राजसमन्द पढा जावें।

शेष यथावत

*Sd*  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/कोर्ट केस/ए-13/2019/322

दिनांक:- 5/8/19

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
2. उप विधी परामर्शी, मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर/राजसमन्द।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गिर्वा (उदयपुर)/खमनोर,(राजसमन्द)।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलोदा खमनोर, उदयपुर।
6. श्री राजेश कुमार निगम राजकीय अधिवक्ता माननीय अपील अधिकरण, जयपुर।
7. प्रशासनिक अधिकारी अराजपत्रित(सामान्य) अनुभाग मुख्यालय।
8. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

*Sd*  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर